संख्या–2179 / 9–आ–3–99–18 वि0 / 99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2– आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक : 07 जून, 1999

विषयः उ0प्र0 पर्यटन नीति, 1998 अन्तर्गत नगर योजना में पर्यटन प्रयोजन हेतु भूखण्ड चिहिन्त किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा जारी पर्यटन नीति दिनांक 31.12.98 में आवासीय क्षेत्र में निजी उद्यमियों द्वारा तीन स्टार तक की मान्यता प्राप्त कर सकने योग्य होटल / रिजार्ट प्रोजेक्ट या कोई अन्य मान्यता प्राप्त पर्यटक इकाई स्थापित किये जाने हेतु उसका अनुमति दिये जाने तथा स्थानीय निकाय एवं समस्त विकास प्राधिकरणों द्वारा नगर योजना में पर्यटन विभाग की सहायता से पर्यटन उद्योग से संबंधित गतिविधियों के लिए भूखण्ड चिन्हित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

अतः अनुरोध है कि पर्यटन के विकास के उद्देश्य से विकास प्राधिकरणों द्वारा नगरों / महानगरों की योजनायें तैयार करते समय पर्यटन विभाग की सहायता से पर्यटन उद्योग से संबंधित गतिविधियों के लिए भूखण्ड चिन्हित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ताकि भविष्य में आवासीय योजनाओं के पूर्ण होने की स्थिति में पर्यटन संबंधी सुविधाओं का विकास किये जाने में कोई कठिनाई न हो।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

<u>संख्या 2179 / 9–आ–3–99–वि0 / 99 तद्‌दिनांक :–</u>

प्रतिलिपि :– प्रमुख सचिव / सचिव / महानिदेशक पर्यटन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया यह अवगत कराने का कष्ट करें कि किन–किन नगरों में पर्यटन के विकास हेतु विशेष रूचि रखते हैं।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम
अनु सचिव